



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-12

आर.बी.ई. सं.-20/2022

मिसिल संख्या. का/254/2/भाग-23/चार

दिनांक 23-02-2022

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी


सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" पदों में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में चयन और अर्हता पूर्व परीक्षा के भाग के रूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहु-विकल्प प्रश्न शुरू करना ।


रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(GP)2018/2/31 Dated 18-02-2022 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि


(अजित कुमार श्रीवास्तव)
सकाधि/एमपीपी
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर।


कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आर.बी.ई. सं. 20/2022

नई दिल्ली, दिनांक 18.02.2022

सं.ई(जीपी)/2018/2/31

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां

(ध्यानार्थ: प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (जी))

विषय: गुप 'सी' से गुप 'बी' पदों में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में चयन और अर्हता पूर्व परीक्षा के भाग के रूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहु-विकल्प प्रश्न शुरू करना।


संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.03.2019, 28.11.2019, 20.07.2020 और 13.12.2021 के पत्र सं. ई(जीपी)/2018/2/31

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 19.03.2019 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों का अवलोकन करें। उक्त पत्र के पैरा 2.3 को निम्नानुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:

2.3 अर्हता अंक:

अर्हता पूर्व परीक्षा में 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए अर्हक होंगे और इसके लिए उम्मीदवारों की संख्या मेरिट के क्रम में संगत रिक्त पदों की संख्या के 5 गुना तक सीमित होगी। बहरहाल, यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं और अंतिम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है भले ही यह मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित संगत रिक्तियों की संख्या के पांच गुना की सीमा से अधिक हो।

2. ये अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।



(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक, स्थापना (जीपी)-III

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 23303322

ईमेल आईडी- meena.1964@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(GP)2018/2/31

New Delhi, dt: 18/02/2022

The General Managers (P),
All Indian Railways and Production Units.

(Kind attn.: PCPOs /Dy.CPO(G))

Sub: Introduction of 100% Objective type Multiple Choice Questions in the written examinations held as part of Selections and Pre-qualifying examination (PE) in LDCs for promotion from Group 'C' to Group 'B' posts.


Ref.: Railway Board's letters nos. E(GP)2018/2/31 dt.19.3.2019, 28.11.2019, 20.07.2020 and 13.12.2021.

Please refer to instructions contained in Board's letter of even number dated 19.03.2019 on the aforementioned subject. It has now been decided to modify Para 2.3 of the said letter as under:

2.3 Qualifying Marks:

The candidates scoring 75% marks and above in the Pre-qualifying examination shall be eligible for appearing in the main examination and for this, number of candidates should be restricted to 5 times the number of respective vacancies in order of merit. *However, in case two or more candidates score equal marks and vie for the last spot, they may be allowed to appear in the main examination irrespective of the fact that it goes beyond the limit of 5 times the number of respective vacancies prescribed for appearing in the main examination.*

2. These instructions will take effect from the date of issue of this letter.


(Meenakshi Saluja)
Dy. Director, Estt.(GP)III
Railway Board
Ph. No. 23303322
E.mail ID- meena.1964@gov.in